बिरसा मुंडा: उलगुलान, जमीन और स्वशासन का इतिहास

आधुनिक इतिहास और जनजातीय समाज (मुख्य परीक्षा: सामान्य अध्ययन-I) एवं II | समाचार संदर्भ: मई-जून 2026 में बिरसा की विरासत और आदिवासी पहचान पर सार्वजनिक चर्चा। | प्रकाशित: 23 अक्टूबर 2026

खबरों में क्यों

9 जून 2026 को बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उनके संघर्ष और जनजातीय अधिकारों को याद किया गया। इससे पहले मई में हुए एक बड़े जनजातीय आयोजन और बाद की चर्चाओं में आदिवासी पहचान, धर्म और अनुसूचित जनजाति की स्थिति से जुड़े प्रश्न उठे। अलग-अलग पक्षों ने बिरसा की विरासत को अपने दृष्टिकोण से समझाया। इस संदर्भ में इतिहास और आज की नीतिगत मांग को अलग रखना जरूरी है। बिरसा का आंदोलन केवल खेती की समस्या नहीं था और उसे किसी एक वर्तमान राजनीतिक विवाद में पूरी तरह समेटना भी ठीक नहीं। उसमें जमीन, आजीविका, सामाजिक सुधार, सांस्कृतिक सम्मान और औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति के प्रश्न एक-दूसरे से जुड़े थे।

पहले समझें: उलगुलान क्या था? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटानागपुर क्षेत्र में हुए जन-प्रतिरोध को उलगुलान कहा जाता है। इसका अर्थ बड़े उथल-पुथल या विद्रोह के रूप में समझा जाता है। यह औपनिवेशिक शासन और स्थानीय शोषणकारी व्यवस्थाओं के विरुद्ध आंदोलन था। इसके पीछे भूमि-अधिकार खोने, बेगार, कर्ज और समुदाय के जीवन पर बाहरी नियंत्रण का अनुभव था।

छोटानागपुर की पृष्ठभूमि:

आज के झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में भूमि का संबंध केवल व्यक्तिगत आय से नहीं था। वह परिवार, वंश, गांव और सामुदायिक पहचान से भी जुड़ी थी। मुंडा समाज में मूल बसावट और जंगल साफ करके खेती शुरू करने वाले वंशों के अधिकारों की परंपरा थी। इसे समझे बिना भूमि-संघर्ष केवल लगान का विवाद दिखाई देगा, जबकि सवाल यह भी था कि जमीन पर निर्णय किसका होगा। औपनिवेशिक भूमि-बंदोबस्त, लगान की मांग, बिचौलियों और साहूकारों की बढ़ती भूमिका ने पुराने संबंध बदले। कर्ज के दबाव और भूमि पर नियंत्रण कम होने से लोगों की निर्भरता बढ़ी। वन नियमों के कारण संसाधनों तक पहुंच भी प्रभावित हुई। ऐसे बदलावों का संयुक्त असर आजीविका और समुदाय के अधिकारों पर पड़ा।

‘दिकु’ का संदर्भ:

इतिहास की किताबों में ‘दिकु’ बाहरी लोगों के लिए प्रयुक्त शब्द के रूप में आता है। आंदोलन के संदर्भ में जमीन और जीवन पर नियंत्रण बढ़ाने वाले जमींदारों, साहूकारों तथा दूसरे शोषणकारी तत्वों के प्रति असंतोष महत्वपूर्ण था। इसे आज के हर गैर-जनजातीय व्यक्ति पर एक समान आरोप की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। इस अंतर से इतिहास की व्याख्या बेहतर होती है। किसी समुदाय की पीड़ा समझने का अर्थ वर्तमान में दूसरे समुदाय के हर व्यक्ति को दोषी ठहराना नहीं है। परीक्षा के उत्तर में शोषण की व्यवस्था और सत्ता-संबंध समझाना अधिक उपयोगी है।

बिरसा का नेतृत्व:

बिरसा का जन्म 1875 में हुआ। उनका संबंध मुंडा समुदाय और छोटानागपुर क्षेत्र से था। उन्होंने अपने समय में मिशनरी शिक्षा और वैष्णव विचारों सहित अलग-अलग प्रभावों का अनुभव किया। आगे चलकर उनके विचारों और अनुयायियों की धार्मिक-सामाजिक धारा विकसित हुई, जिसे बिरसाइत परंपरा के रूप में जाना जाता है। वे केवल राजनीतिक विरोध नहीं कर रहे थे। स्वच्छता, शराब से दूरी और अंधविश्वासों से मुक्ति जैसे सामाजिक सुधार भी उनके संदेश का हिस्सा थे। समुदाय को अपने जीवन में बदलाव के लिए तैयार करना और बाहरी शोषण के विरुद्ध संगठित करना साथ-साथ चल रहा था। इसलिए उन्हें केवल एक धार्मिक पहचान में बांधना या उनके आंदोलन के धार्मिक पहलू को पूरी तरह मिटा देना, दोनों अधूरे तरीके हैं। आंदोलन में विश्वास, प्रतीक, सामाजिक सुधार और राजनीतिक उद्देश्य जुड़े हुए थे।

संघर्ष का क्रम:

समय	महत्वपूर्ण पड़ाव
1895	बिरसा की गिरफ्तारी और दो वर्ष का कारावास
1897	रिहाई के बाद गांवों में संपर्क और संगठन का विस्तार
1899-1900	औपनिवेशिक सत्ता और उसके प्रतीकों के विरुद्ध संघर्ष का तीव्र चरण
1900	कारावास में मृत्यु; नेतृत्व को बड़ा आघात
1908	छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम: भूमि-सुरक्षा के व्यापक ऐतिहासिक क्रम में महत्वपूर्ण पड़ाव

विद्रोह के दौरान पुलिस थानों, चर्चों तथा जमींदारों और साहूकारों की संपत्ति जैसे सत्ता और वर्चस्व के प्रतीकों को निशाना बनाया गया। औपनिवेशिक शासन ने दमन और गिरफ्तारियों से आंदोलन दबाया। इतिहास को केवल वीरता की कहानी मानकर हिंसा, दमन और उसके सामाजिक संदर्भ को छोड़ देना भी पर्याप्त नहीं।

जमीन से 'अपना राज' तक:

आंदोलन में भूमि वापस पाने की मांग राजनीतिक नियंत्रण के प्रश्न से जुड़ी थी। यदि समुदाय जमीन का उपयोग करे लेकिन लगान, अधिकार और संसाधनों के नियम बाहर से थोपे जाएं, तो उसकी स्वतंत्रता सीमित रहती है। इसीलिए 'अपना राज' की आकांक्षा आर्थिक अधिकार से आगे जाकर स्वशासन की बात करती थी। लेकिन उन्नीसवीं शताब्दी के मुंडा राज की कल्पना को आज की किसी संवैधानिक संस्था का बिल्कुल समान रूप नहीं मानना चाहिए। दोनों के ऐतिहासिक संदर्भ अलग हैं। आज उससे जो प्रश्न लिया जा सकता है, वह स्थानीय भागीदारी, सम्मान और संसाधनों पर समुदाय की आवाज का है।

विरासत और कानून:

बिरसा के बाद भी जनजातीय भूमि और अधिकारों का प्रश्न समाप्त नहीं हुआ। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 जैसे उपायों को व्यापक प्रतिरोध और प्रशासनिक प्रतिक्रिया के इतिहास में पढ़ना चाहिए। कानून को केवल एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद अपने-आप हुआ परिवर्तन कहना अधूरा होगा। इसी प्रकार किसी क्षेत्र के भूमि-सुरक्षा कानून का नाम जान लेना उसके हर लेन-देन पर निर्णय देने के लिए पर्याप्त नहीं। कानून की धाराएं, लागू क्षेत्र और परिस्थितियां अलग से देखनी होंगी। यहां उस अधिनियम के प्रत्येक हस्तांतरण नियम की व्याख्या नहीं की जा रही है।

पहचान की बहस और संविधान:

मई-जून की चर्चा में 'डीलिस्टिंग' शब्द का उपयोग धर्म बदलने वाले कुछ आदिवासी व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति के लाभों से बाहर करने की मांग के लिए हुआ। यह किसी पक्ष की मांग और संवैधानिक प्रक्रिया का अलग विषय है। किसी सभा के प्रस्ताव को अपने-आप लागू कानून नहीं माना जा सकता। संविधान का अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों के विनिर्देशन की व्यवस्था देता है। राष्ट्रपति राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में जनजातियों और जनजातीय समुदायों को अधिसूचित कर सकते हैं। राज्य के मामले में राज्यपाल से परामर्श का प्रावधान है। सूची में बाद में सम्मिलित करने या निकालने का काम संसद कानून द्वारा कर सकती है। इस अनुच्छेद में धर्म-आधारित कोई शर्त स्पष्ट रूप से नहीं लिखी है। फिर भी किसी व्यक्ति की पात्रता या प्रमाणपत्र का निर्णय केवल इस लेख से नहीं निकाला जाना चाहिए। संबंधित सूची, समुदाय, लागू कानून और न्यायिक निर्णय देखना जरूरी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की व्यवस्थाओं को बिना जांच एक जैसा मानना भी गलत होगा।

इतिहास को कैसे पढ़ें?

स्मृति और प्रमाण अलग रखें: लोकस्मृति आंदोलन की सामाजिक गहराई समझाती है। घटनाओं की तारीख, संख्या और कानूनी परिणाम की जांच के लिए अलग प्रमाण चाहिए। लोकप्रिय कथा के प्रत्येक विवरण को स्थापित तथ्य मानना उचित नहीं। **वर्तमान मत को ऐतिहासिक निर्णय न बनाएं:** किसी नेता या संगठन की बिरसा पर व्याख्या उसके अपने दृष्टिकोण को बताती है। उसे पूरे इतिहास का अंतिम निष्कर्ष नहीं कहा जा सकता। प्राथमिक दस्तावेज, पाठ्यपुस्तक और इतिहास-अध्ययन साथ पढ़े जाने चाहिए। **समुदाय की विविधता पहचानें:** जनजातीय समाज एक ही धार्मिक या सामाजिक ढांचे का पर्याय नहीं है। उसकी भाषा, परंपरा और अनुभव में विविधता है। अधिकारों की चर्चा में इस विविधता और वास्तविक भागीदारी का सम्मान जरूरी है।

निष्कर्ष:

बिरसा मुंडा की विरासत जमीन बचाने, शोषण से मुक्ति और सम्मानपूर्ण सामुदायिक जीवन की संयुक्त मांग में दिखाई देती है। उलगुलान बताता है कि औपनिवेशिक शासन का विरोध स्थानीय अनुभवों और अपने प्रतीकों से भी विकसित हुआ। आज उपयोगी सीख इतिहास को किसी नारे में बंद करना नहीं, बल्कि अधिकार, जवाबदेही और स्वशासन के प्रश्नों को प्रमाण और संविधान के साथ समझना है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास:

प्रश्न: “बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान आर्थिक शोषण के विरोध के साथ सांस्कृतिक सम्मान और स्वशासन की आकांक्षा भी था।” विवेचना कीजिए। (250 शब्द, 15 अंक)

▼ उत्तर की रूपरेखा देखें

परिचय: छोटानागपुर में औपनिवेशिक परिवर्तन और मुंडा समाज की पृष्ठभूमि दें। **मुख्य भाग:** भूमि-अधिकार, लगान, कर्ज और बेगार समझाएं। सामाजिक सुधार, धार्मिक प्रतीक और मुंडा राज की राजनीतिक मांग जोड़ें। दमन तथा भूमि-सुरक्षा संबंधी बाद के बदलाव बताएं। आज की संस्थाओं को सीधे अतीत पर आरोपित करने से बचें। **निष्कर्ष:** औपनिवेशिक प्रतिरोध के इतिहास में स्थानीय नेतृत्व और समुदाय की अपनी आवाज के महत्व पर जोर दें।

स्रोत और सीमाएँ

- एनसीईआरटी: जनजातियां, दिकु और बिरसा आंदोलन
- एनसीईआरटी: बिरसा मुंडा का जीवन और आंदोलन
- 9 जून 2026 की आधिकारिक श्रद्धांजलि
- जून 2026: बिरसा की विरासत पर चर्चा
- मई-जून 2026: आदिवासी पहचान और डीलिस्टिंग की बहस
- भारत का संविधान: अनुच्छेद 342
- **सीमाएँ:** कुछ रिपोर्टों में 1773 स्थायी बंदोबस्त/1885 गिरफ्तारी जैसी तिथियों के अंतर हैं; इस लेख में NCERT-आधारित 1895 का संदर्भ अपनाया गया है और विवादित तिथियाँ नहीं दी गईं। डोमबारी घटना की तारीख में स्रोतों का अंतर है, इसलिए सटीक घटना-तिथि नहीं दी गई। हताहतों की कुल संख्या या विषाक्तता का निष्कर्ष नहीं दिया गया। CNT अधिनियम के अंतर्गत हस्तांतरण के सटीक नियम यहाँ विस्तार से नहीं दिए गए; कोई कानूनी सलाह नहीं। अनुच्छेद 342 मूल संविधान पाठ के अनुसार बताया गया है; किसी व्यक्ति की स्वतः पात्रता का दावा नहीं।

इसी विषय का प्रारंभिक परीक्षा (तथ्य) लेख: बिरसा मुंडा और उलगुलान — प्रमुख तथ्य